न्यायालयः–माननीय राजस्व मण्डल महोदय,ग्वालियर म0प्र0

प्र.क्र. ..../2016 अपील 8245 निग 3597-PBR/6

परिवार डयेरीज एण्ड एलाईड लिमिटेड द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता राकेश सिंह नरवरिया पुत्र श्री चौधरी सिंह नरवरिया ,आयु– वर्ष,व्यवसायः–व्यापार निवासीः – साईट नम्बर 1,मकान नम्बर 1 सिटी सेन्टर, ग्वालियर ----अपीलार्थी

दिनांक 14-10-16 को श्री अर्जुन सिंह अभि0 द्वारा प्रस्तुत/
14-10-16
अर्जुनसिंह (ADS)
14/10/16

277
14-10-16

बनाम

म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर,कार्यालय नवीन कलेक्ट्रेट भवन सिटी सेन्टर,ग्वालियर

2– म0प्र0 शासन द्वारा नायब तहसीलदार महोदय,वृत्त 2,ग्वालियर

3– नबाब सिंह पुत्र राजाराम

4– लाखन सिंह पुत्र राजाराम,निवासीगण–ग्राम बरौआ,नूराबाद,ग्वालियर

----------प्रतिअपीलार्थीगण

अपील धारा 44 की उपधारा 3 अन्तर्गत म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय,संभाग ग्वालियर,म0प्र0 के द्वारा पारित प्रकरण कमांक 258/2007–08 स्वनिगरानी में पारित आदेश दिनांक 27–05–2009 से व्यथित होकर यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3597–पीबीआर / 16 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–12–2016	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आयुक्त के आदेश दिनांक 27–5–09 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आयुक्त के आदेश दिनांक 27–5–09 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 14–10–2016 को लगभग 7 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, और अवधि विधान की धारा 5 में विलम्ब का कारण आवेदक को आदेश की जानकारी नहीं दिया जाना एवं व्यवहार न्यायालय में उपस्थित होने पर प्रथम बार आदेश की जानकारी होना दर्शाया गया है, जो कि विलम्ब का संतोषजनक कारण नहीं है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	